मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3875
24.03.2025 को उत्तर के लिए

चंद्रपुर में औद्योगिक प्रदूषण

3875. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उद्योगों की गलत नीतियों के कारण चंद्रपुर जिले में प्रदूषण और बढ़ रहा है;
(ख) क्या यह सच है कि चंद्रपुर जिले में प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अनदेखी की जा रही है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं;
(ग) क्या उद्योगों द्वारा पुराने उपकरणों के उपयोग के कारण चंद्रपुर जिले में प्रदूषण बढ़ रहा है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): चंद्रपुर शहर को मानकों को पूरा न करने वाले शहर के रूप में घोषित किया गया है और यह परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा उक्त शहर के लिए तैयार की गई वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

सीपीसीबी ने वर्ष 2018 के दौरान चंद्रपुर (महाराष्ट्र) की सीईपीआई निगरानी की और सीईपीआई स्कोर 76.41 आंका गया। चूंकि सीपीसीबी ने 70 से अधिक सीईपीआई स्कोर वाले क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) के रूप में वर्गीकृत किया है, इसलिए चंद्रपुर 'गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र (सीपीए)' के अंतर्गत आता है। सीपीसीबी ने निगरानी रिपोर्ट और कार्य योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत करने के लिए एसपीसीबी की सुविधा के लिए सीईपीआई पोर्टल तैयार किया है। एमपीसीबी ने पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के लिए कार्य योजनाएँ तैयार की हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के तहत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के मानकों" को अधिसूचित करता है। पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित सामान्य मानक वहां लागू होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी उक्त मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। सीपीसीबी ने उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों और सामान्य अपशिष्ट शोधन केन्द्रों की सभी 17 श्रेणियों को निगरानी तंत्र को मजबूत करने तथा स्व-विनियामक तंत्र और प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के माध्यम से प्रभावी अनुपालन के लिए ऑनलाइन सतत बहि:स्राव/उत्सर्जन निगरानी तंत्र (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है। ओसीईएमएस के माध्यम से उत्पन्न व्यावसायिक अपशिष्ट और उत्सर्जन के पर्यावरण प्रदूषकों के वास्तविक समय के मूल्यों को सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को 24x7 आधार पर ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय सॉफ्टवेयर डेटा को प्रोसेस करता है और यदि प्रदूषक मापदंड का मान निर्धारित पर्यावरण मानदंडों से अधिक है, तो एक स्वतः एसएमएस अलर्ट जेनरेट होता है और औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेज दिया जाता है, ताकि उस उद्योग द्वारा तात्कालिक रूप से सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सके।

****